न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/97

प्रार्थी :–
श्रीराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल निवास वार्ड नं. 11 पी.बी.पहलवान का बेरा पूगल बीकानेर राजस्थान ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 01.02.2024

"आदेश"

दिनांक : 21/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 966/21 क्षेत्रफल 0.1375 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, जमाबन्दी में खाता संख्या नया 701 व पुराना 541 पर इन्द्राज है एवं खसरा नंबर 984/172 क्षेत्रफल 2.3622 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, जमाबन्दी में खाता संख्या नया 711 व पुराना 132 पर इन्द्राज है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबुत में नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी शिवलाल उर्फ श्रीराम पुत्र लालाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही है जिसमें हल्का पटवारी ने भूल वश सेवन से प्रार्थी का घरेलु बोल चाल वाला नाम शिवलाल पुत्र लालाराम इन्द्राज कर दिया जो उत्तरोतर जमाबन्दीयो में इन्द्राज होता रहा वर्तमान में शिवलाल पुत्र लालाराम इन्द्राज है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर सही नाम श्रीराम पुत्र लालाराम इन्द्राज करवाने का अधिकारी है इस पर यह प्रार्थनापत्र रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। प्रार्थी श्रीराम पुत्र लालाराम के नाम से परिवार कार्ड, आधार कार्ड, विद्युत बिल, एस.बी.आई. बैंक पास बुक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वरिष्ट नागरीक का पहचान पत्र, जन आधार कार्ड इत्यादि बने हुए है, जो प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न पेश है। तमाम सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र लालाराम ही इन्द्राज है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम श्रीराम पुत्र लालाराम इन्द्राज करावें। प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है हल्का पटवारी ने गलती से त्रुटि वश प्रार्थी का घरेलु बोलचाल वाला नाम शिवलाल इन्द्राज कर दिया जिसको प्रार्थी

दुरुस्त करवा कर सही नाम श्रीराम इन्द्राज करवाने का अधिकारी है इस पर यह प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। प्रार्थी को पुर्व में राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं रही हाल ही मे प्रार्थी को जानकारी होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दरमियाद पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम तिलवासनी की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 966/21 क्षेत्रफल 0.1375 हैक्टयर व खसरा नंबर 984/172 क्षेत्रफल 2.3622 हैक्टयर भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर शिवलाल पुत्र लालाराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र लालाराम इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमायें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 966/121 व खसरा नम्बर 984/172 में दर्ज नाम शिवलाल पुत्र लालाराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र लालाराम दर्ज किया जाना उचित बताया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 966/121 व खसरा नम्बर 984/172 में दर्ज नाम शिवलाल पुत्र लालाराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र लालाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर